बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

[गृह विभाग - वाणिज्य कर विभाग - वित्त विभाग - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग - सिविल विमानन विभाग - निगरानी विभाग - गन्ना उद्योग विभाग - सूचना एवं जन-संपर्क विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग - उद्योग विभाग - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग - सूचना प्रावैधिकी विभाग - निर्वाचन विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 2

गन्ना मूल्य का भुगतान

*7 **श्री मंजीत कुमार सिंह (100) (बरौली):**

गन्ना उद्योग विभाग :-

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(1.) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के बगहा चीनी मिल द्वारा दिनांक 15.01.2026 तक भुगतान हेतु 1214.6 लाख रु, हरि नगर द्वारा उसी तिथि तक 559, नरकटिया गंज द्वारा 3958.36 लाख रु, मझौलिया द्वारा 3507.45 लाख रु, गोपालगंज द्वारा 2499.6 लाख रु, सिधवलिया द्वारा 2558.29 रु, समस्तीपुर जिला में हसनपुर द्वारा 1820.22 लाख रु, पूर्वी चंपारण के लौरिया द्वारा 1533.98 रु, सुगौली मिल द्वारा 660.3 रु, तथा सीतामढ़ी जिला के रीगा चीनी मिल द्वारा 512.05 और उत्तर प्रदेश की चीनी मिल प्रताप पुर द्वारा 678 लाख रु गन्ना मूल्य भुगतान वास्ते अवशेष रखा गया था जो बढ़ता ही जा रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त चीनी मिलो के गन्ना मूल्य का भुगतान नियमित कराने का विचार रखती है , नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना।

*8 **श्री उपेन्द्र प्रसाद (225) (गुरुआ):**

सामान्य प्रशासन विभाग क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के ज्ञापांक-16698 दिनांक-04.09.25 के द्वारा बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (संबद्ध-गोप गुट) के 10 (दस) सुत्री मांगो के संबंध में महासंध के प्रतिनिधियों के साथ क्रमांक 1 से 5 तक में लिपिकों की भर्ती , सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था तथा कर्मियों का दुर्घटना बीमा सहित कुल 7 (सात) बिन्दुओं पर सहमति बनी है, यदि हाँ तो सरकार उक्त बिन्दुओं पर कबतक कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?